

Bhagwant Global University Act, 2016

Act No. 39 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण, 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 344 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 39 सन 2016 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या.39 वर्ष, 2016)

<u>अनुक्रमणिका</u>

धाराएं	विवरण
	अध्याय — एक
	प्रारम्भिक
1	संक्षिप्त नाम एवं प्रारभ्भ
2	परिभाषाएं
	अध्याय – दो
	विश्वविद्यालय के उद्देश्य
3	विश्वविद्यालय की स्थापना
4	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना
5	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना
6	विश्वविद्यालय के उद्देश्य
7	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
8	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी
9	राष्ट्रीय प्रत्यायन
	अध्याय — तीन
	विश्वविद्यालय के अधिकारी
10	विश्वविद्यालय के अधिकारी
11	कुलाध्यक्ष (विजिटर)
12	कुलाधिपति
13	प्रति कुलाधिपति
14	कुलपति
15	प्रति—कुलपति
16	कुलसचिव
17	संकायाध्यक्ष
18	वित्त अधिकारी

19	अन्य अधिकारी गण
	अध्याय—चार
	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
20	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
21	व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियाँ
22	प्रबन्ध मण्डल
23	विद्या परिषद
24	वित्त समिति
25	अन्य प्राधिकरण
26	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना
	अध्याय — पांच
	परिनियम और नियम
27	परिनियम
28	परिनियम कैसे बनाये जायेंगे
29	परिनियम में संशोधन करने की शक्ति
30	नियम
31	नियम कैसे बनायें जाय
32	नियमों को संशोधित करने की शक्ति
	अघ्याय – 6
	प्रकीर्ण
33	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिये उपलब्ध
34	कर्मचारियों की सेवाशर्ते
35	अपील का आधार
36	भविष्य निधि एवं पेंशन
37	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद
38	समितियों का गठन
39	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति
40	सदभावना पूर्वक की गयी कार्यवही के लिए संरक्षण
41	संक्रमणकालीन उपबन्ध

42	स्थायी विन्यास निधि
43	सामान्य निधि
44	विकास निधि
45	निधि का अनुरक्षण
46	वार्षिक प्रतिवेदन
47	लेखा व लेखा परीक्षा
48	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति
49	विश्वविद्यालय का विघटन
50	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय
51	कठिनाइयों का निराकरण

भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 39 वर्ष, 2016)

तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान के उद्देश्य से सोसायटी एक्ट के अधीन पंजीकृत "भगवंत एजूकेशन फाउण्डेशन"(सोसायटी) नई दिल्ली (s-42899/2002)द्वारा प्रायोजित भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारभ्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।
		(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
परिभाषाएं	2.	जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम, 2016 में :—
		(क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय का विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
		(ख) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ग) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;
		(घ) 'प्रबन्ध मण्डल' से विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल अभिप्रेत है;
		(ड) 'पाठ्यक्रम मण्डल' से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है;
		(च) 'परीक्षा मण्डल' से विश्वविद्यालय का परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है;
		(छ) 'कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष' एवं वित्त अधिकारी से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष' एवं वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;
		(ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;
		(झ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित किसी महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
		(ञ) 'कैरियर एकेडमी सेण्टर' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इन्टरनेट पारस्परिक संवाद प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;
		(ट) 'परिसर के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य / डीन से है, उस परिसर या संघटन महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहां प्राचार्य / डीन नहीं है,

- उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य / डीन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (ठ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धित अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूरदृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इण्न्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई—मेल इण्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई—लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो:
- (ड) 'जमा राशि' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि वापसी योग्य है;
- (ढ) 'संकायाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष (डीन) अभिप्रेत है;
- (ण) 'विभाग' से विश्वविद्यालय का विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;
- (त) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;
- (थ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (द)'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (ध)'शुल्क' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है:
- (न) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (प) 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;
- (फ) "प्रायोजक संस्था" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी "भगवंत एजूकेशन फाउण्डेशन" अथवा यथा स्थिति नियमानुसार अस्तित्व में आये उसकी उत्तरवर्ती प्रायोजक संस्था अभिप्रेत है;
- (भ) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:
- (म) 'स्थायी निवासी' से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास / स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हो;
- (य) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जिसको स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केंन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों जैसे प्रवेश, परीक्षा आदि कार्यों के निष्पादन के उदेद्श्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया हो;
- (यक) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (यख) 'परिनियम', नियम और अध्यादेश' से विश्वविद्यालय के परिनियम, नियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं:
- (यग) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (य घ) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य / व्याख्याता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक

		महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अर्न्तगत किसी परिसर के निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है;
		(य ड.) 'यू०जी०सी०' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के आधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
		(य च) 'विश्वविद्यालय'से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अभिप्रेत हैं;
		(यछ) 'निकाय' से विश्वविद्यालय का निकाय अभिप्रेत है;
		्र / (य ज) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।
		अध्याय – दो
		विश्वविद्यालय के उद्देश्य
विश्वविद्यालय की स्थापना	3.	(1) प्रायोजित संस्था अर्थात ''भगवंत एज्यूकेशन फाउण्डेशन'' (एस. 42899 / 2002 वर्ष 2002) नई दिल्ली, को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 'भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय' स्थापित करने का अधिकार होगा।
		(2) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ग्राम झण्डी चौड़, तहसील कोटद्वार, जिला—पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं कें अनुसार किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय राज्य में राज्य सरकार की पूर्वानुमित से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा।
		(3) राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी
		शर्तें और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है और 'भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय' ज्ञात नाम से उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।
		(4) विश्वविद्यालय 'भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे साश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।
		(क) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग / विषय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (स्प्लिट) परिसर जिला—पौड़ी गढ़वाल या उत्तराखण्ड में किसी और क्षेत्र में ही स्थापित कर सकता है।
		(5) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे व उन पर वाद चलाया जा सकता है।
		(6) उपधारा (1) के आधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि चल एवं अचल सम्पत्तियां, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं असमें निहित हो जायेंगी।
		(7) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभन्न विभागों / संकाय के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मामलों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

		(8) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं यू०जी०सी० एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थानों के मानकों के अनुरूप होंगी।
विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	4	विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।
किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	5.	राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र, किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामुहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।
विश्वविद्यालय के उद्देश्य	6	जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं: ─ (क) शिक्षण, प्रशिक्षण निर्देश, और अनुसंधान प्रदान करने के लिए जो कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एम0फिल0, पी0एच0डी0, और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान की व्यवस्था इन विषयों में करेंगे: कला, विज्ञान, और वाणिज्य, कानून और प्रशासन, भाषा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक, कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विकित्सा (चिकित्सा एवं शत्य चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा स्वच्छता एवं ट्रॉपिकलय मेडिसिल, नर्सिंग), व्यापार और प्रबंधन, शिक्षा, कृषि, बागवानी वानिकी, मत्स्य पालन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फार्मेसी, पशु चिकित्सा, पशुपालन, डेयरी, फिजियोथैरेपी, पैरामेडिकल, मीडिया पत्रकारिता, फिल्म और टीवी प्रौद्योगिकी, मास कम्युनिकेशन, फायर एण्ड सैपटी, सेनेटरी विज्ञान एवं सामाजिक कार्य, इंटरनेशनल स्टडीज, विदेश व्यापार, विमानन, ऑनलाइन है—कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, संगीत, धर्म, धर्मशाला। अन्य कार्यक्रम विषय जो कि शैक्षणिक परिषद् और प्रबन्धन बोर्ड द्वारा विधिवत् स्वीकृत हो एवं (एक) मानव संसाधन के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हो, (दो) शिक्षा के किसी भी अन्य क्षेत्र के विषय जो कि यू०जी०सी० अधिनियम, 1956 की धारा 22 में सूचीबद्ध हो । (ख) परिसर की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, पी,च्च.डी. एवं पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गया हो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पात्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा; (ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखत पाद्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वांनुमित स दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत्त शिक्षा के आधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना करने के लिए अनवरत्त शिक्षा के भीतर ऑनलाईन/ऑफ लाईन परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना; (इ) विश्वविद्यालय को नियमित व मानद डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र व अन्य शैक्षिक उपाधि, परीक्षाओं अथवा अन्य प्रणाली, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान के आधार पर प्रदान करना; (इ) विश्वविद्यालय को नियमित व मानद डिग्री, सामाजिक एवं अन्य के सहमित से अन्य राज्यों
		(छ)विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रों में अनुसंघान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के निए अनुसंघान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियां, अधिवेशन, कार्य शीविर, शैक्षणिक कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, सामुदायिक

रेडियो, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना; (ज) वाहय अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं वाहय क्षेत्रीय गतिविधायों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना; (झ)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान एवं नियमों के अर्न्तगत ऑफ–शोर कैम्पस की स्थापना करना। (ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो। (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात्:--विश्वविद्यालय की 7. शक्तियाँ (क) शिक्षण, प्रशिक्षण निर्देश, और अन्संधान प्रदान करने के लिए जो कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एम.फिल, पीएचडी, और पोस्ट डॉक्टरल अन्संधान की व्यवस्था इन विषयो में करेगें: कला, विज्ञान और वाणिज्य, कानून और प्रशासन, भाषा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, चिकित्सा (चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, स्वच्छता एवं ट्रॉपिकल मेडिसिन, नर्सिंग), व्यापार और प्रबंधन, शिक्षा, कृषि, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फार्मेसी, पश् चिकित्सा, पश्पालन, डेयरी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म और टीवी प्रौद्योगिकी, मास कम्य्निकेशन, फायर एंड सेफ्टी सेनेटरी विज्ञान एवं सामाजिक कार्य. इंटरनेशनल स्टडीज, विदेश व्यापार, विमानन, ऑनलाइन ई-कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, संगीत, धर्म, धर्मशास्त्र। अन्य कार्यक्रम/विषय जो कि शैक्षणिक परिषद और प्रबन्धन बोर्ड, द्वारा विधिवत स्वीकृत हो

(एक) मानव संसाधन के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हो,

- (दो) शिक्षा के किसी भी अन्य क्षेत्र के विषय जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 समय—समय पर यथासंशोधित की धारा 22 में सूचीबद्ध हो एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परीक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हे उपाधिया या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताये संस्थित और प्रदान करना जिन्होने:-
 - (एक) विश्वविद्यालय या इसके परिसर या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के आधीन क्षेत्रीय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडकी सैन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; अथवा

- (दो) विश्वविद्यालय या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के आधीन शोध कार्य किया हो;
- (घ) परिनियमों / प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के आधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (ड.) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करनाः
- (च) ऐसी फीस, जमा, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;
- (छ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय—समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों मे निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए;
- (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्योत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अघ्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ञ) प्रायोजित संस्था के पूर्व अनुमित से विश्वविद्यालय इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडिमक सेण्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सिहत किसी चल—अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना;
- (ट) विश्वविद्यालय इसके परिसर के छात्रों के लिए हॉल / छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियन्त्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों मे मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कार्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना;
- (ड) शैक्षणिक प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सर्जन करना:
- (ढ) भारत या विदेशों के संस्थानो, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योग एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार्य और सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे:
- (ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठलेखकों, मूल्यांकको और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाये, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (थ) विश्वविद्यालय इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंघान केन्द्रों और कैरियर एकेडिमक सेण्टर्स में विशिष्ट समीतियों के माध्यम से एवं विद्यापरिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (द) विश्वविद्यालय इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों, और कैरियर एकेडिमक सेण्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;
- (ध) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्या एवं दन्त शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों में

		स्नातक, स्नातकोत्तर, डाक्टर ऑफ 'फेलासफी' डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अर्न्तगत आते हैं, किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र आदि दियेजाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;
		(न) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधिया, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतय विलग होंगी;
		(प) फिल्म कैसेट, टेप, ऑडियो, विडियो कैसेट, सी.डी., डी.वी.डी. और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना';
		(फ) अन्य विश्वविद्यालय संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अविध (पूर्ण अथवा आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अविध के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;
		(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाया, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋणप्राप्त करना;
		(भ) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन या उसे समाप्त करना;
		(म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के अनुषंगिक हो या न हो;
		(य) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद योजित करना।
		(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के प्रोत्साहन करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मुल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंघान केन्द्रों और कैरियर एकेडिमक सैण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नही अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुमोदनो के आंवंटन एवं सवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।
विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की	8.	विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति, लिंग एवं राष्ट्रीयता के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा,
पहुँच होगी		परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा। जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने की प्रतिबन्ध हैं:
		परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुये यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडिंमक सैण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।
राष्ट्रीय प्रत्यायन	9.	विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा, यदि आवश्यक हो।
		अध्याय — तीन

		विश्वविद्यालय के अधिकारी
विश्वविद्यालय के अधिकारी	10.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः — (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) (ख) कुलाधिपति; (ग) प्रति—कुलाधिपति (घ) कुलपति; (ड.) प्रति—कुलपति; (च) कुलसचिव; (छ) संकायाध्यक्ष; (ज) वित्त अधिकारी; और (झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।
कुलाध्यक्ष (विजिटर)	11.	(1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियां एवं डिप्लोंमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे। (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:— (क) विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, प्रत्र या सूचना को मांगना; (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह सन्तुष्ट हो कि काई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियम के अनुरूप नहीं हैं तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हे वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितो द्वारा अनुपालन किया जायेगा; (ग) मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।
कुलाधिपति	12.	 (1) प्रयोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसायटी), अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उसके द्वारा सर्वसम्मित से किसी अन्य को कुलाधिपित नियुक्त किया जा सकेगा। (2) कुलाधिपित को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके आधीन बनाये गये पिरिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी। (3) कुलाधिपित की निम्निलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्:— (क) कोई भी सूचना या अभिलेख मांगने का अधिकार (ख) ऐसी अन्य शक्तियां जो इस अधिनियम में विहित की गयी हो।
प्रति कुलाधिपति	13.	(1) प्रयोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसायटी), अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उसके द्वारा सर्वसम्मित से किसी अन्य को प्रति—कुलाधिपित नियुक्त किया जा सकेगा। (2) प्रति—कुलाधिपित को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके आधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

कुलपति	14.	(1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अविध के लिए ऐसे निबन्धों और शर्तो पर जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपित की नियुक्ति की जायेगी।
		(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगेंः अर्थात्:—
		(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य,
		(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य
		(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा सीमित के सयोंजक के रूप में नामित किया जायेगा।
		(3) सिमति योग्यता के आधार पर कुलपित के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्याताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपित को अग्रसारित करेगी।
		(4) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक, प्रशासनिक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापो पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्रधिकारीयों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
		(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसी अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवही करना आपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके आधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवही ना की सकी तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।
		(6) कुलपित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।
		(7) कुलाधिपति को सम्यक जांच के उपरान्त,कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरापों की गम्भीरता को दृष्टीगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।
प्रति—कुलपति	15	प्रति कुलपित की नियुक्ति कुलपित द्वारा कुलाधिपित के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति सेकी जा सकेगी, जैसी कि पिरिनियमों में विहित की जायें और प्रति कुलपित ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो पिरिनियमों द्वारा विहित किय जायें।
कुलसचिव	16	(1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धो और शर्तो पर की जायेगी, जैसे की विहित की जायें।
		(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदांए करेगा और उन्हे हस्ताक्षरित करेगा।
		(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपित द्वारा समय—संमय पर आपेक्षित है।
		(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य उचित प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सुचनाये और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए वाध्य होगा।
संकायाध्यक्ष	17	संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति की पुर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करे,जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी	18	वित्त अधिकरी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायंगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
अन्य अधिकारी गण	19	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्ते तथा शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
		अध्याय—चार
		विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
विश्वविद्यालय के	20.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात :
प्राधिकारी		(क) व्यवस्थापक मण्डल;
		(ख) प्रबन्धक मण्डल;
		(ग) विद्या परिषद;
		(घ) वित्त समिति; और
		(ड.) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेगें।
व्यवस्थापक मण्डल व	21.	(1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:—
उसकी शक्तियाँ		(क) कुलाधिपति व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष होगें;
		(ख) मा० विधान सभा के दो क्षेत्रीय सदस्य;
		(ग) व्यवस्थापक मण्डल का सह अध्यक्ष, प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामित किया जायेगा।
		(घ) कुलपति — सदस्य सचिव;
		(ड.) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित —तीन शिक्षा विद;
		(च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित नामी उद्योग / कॉर्पोरेट / प्रोफेशनल जगत के विशेषज्ञ — दो सदस्य;
		(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानो में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित — एक सदस्य;
		(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :—
		(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नितियों का निर्घारण;
		(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, का पुर्नविलोकन;
		(ग) विश्वविद्यालय के बजट ओर वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
		(घ) नयी अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व मे बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संसोधन या निरसन;
		(ड.) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चिय करना;
		(च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
		(छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं;

		(ज) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना, और
		(झ) विश्वविद्यालय के सभी खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्ध करने हेतु अधिकारी एवं अधिकारियों को नियुक्त व अधिकृत करना।
		(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठके ऐसे समय और स्थान पंर होंगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझें।
		(4) कारोबार संचालन के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।
प्रबन्ध मण्डल	22.	(1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात —
		(क) प्रति—कुलाधिपति — विशेष आमंत्रित सदस्य।
		(ख) कुलपति — अध्यक्ष;
		(ग) प्रति—कुलपति (यदि हैं तो);
		(घ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
		(इ) प्रायोजित संस्था द्वारा पांच सदस्य;
		(च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक;
		(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष;
		(ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव / सचिव
		(झ) कुलसचिव गैर – सदस्य सचिव होगा।
		(2) प्रबन्ध मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रबन्धकीय संस्था होगी
		(3) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।
विद्या परिषद	23.	(1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात —
		(क) कुलपति — अध्यक्ष;
		(ख) कुलसचिव —सचिव;
		(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों मे विहित किया जाये।
		(2) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के आधीन निर्मित नियमों व परिनियमों के अर्न्तगत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षाणिक नीतियों में समन्यवय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
		(3) विद्या परिषद की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।
वित्त समिति	24.	(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात—
		(क) कुलाधिपति — सभापति
		(ख) वित्त अधिकारी — सचिव
		(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।
		(घ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक बहाय वित्तीय विशेषज्ञ ।
		(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलो की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के आधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय

		स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
		(3) वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।
अन्य प्राधिकरण	25.	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे की परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं।
रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	26.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।
		अध्याय — पांच
		परिनियम और नियम
परिनियम	27.	इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली के द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है—
		(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य — संपादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विर्निदिष्ट नहीं की गयी है;
		(ख) स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन,
		(ग) कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की नियम व शर्तें तथा उनके शक्तियां व कृत्य;
		(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों ओर कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्ते;
		(ड.) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रक्रिया,
		(च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्साहन और उसकी पुर्नसंरचना;
		(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
		(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
		(झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना;
		(ञ) विभिन्न पठ्यक्रमों में सीटो की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मलित है;
		(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रो से लिए जाने वाले शुल्क;
		(ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृतियां, अध्ययनवृतियां, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना;
		(ड) पदो का सृजन और समापन करना;
		(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवही;
		(ण) अन्य मामले जो विहित किये जायें;
		(त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियां एवं कृत्य;
परिनियम कैसे बनाये	28.	(1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम आवश्यक रुप से राज्य सरकार

जायेंगे		के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।
परिनियम में संशोधन करने की शक्ति	29.	व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
नियम	30.	इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है; अर्थात –
		(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नांमाकन और इस रूप में बने रहना;
		(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों ओर अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जानेवाले पाठ्यक्रम;
		(ग) उपाधियों और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
		(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्ते;
		(ड.) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वले निकायों, परीक्षको, अन्तरक्षों, सारणीकारों तथा अनुसीमको के नियुक्ति की शर्ते और रीति तथा उनके कर्तव्य;
		(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, अपाधियों और अन्य शौक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
		(झ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तै;
		(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु;
		(झ) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिए शुल्क व जमा राशि लिए जाने हेतु;
		(ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाये।
नियम कैसे बनायें जाय	31.	(1) नियम व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।
नियमों को संशोधित करने की शक्ति	32.	व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संसोधन या निरसन कर सकेगा।
		अघ्याय — 6
		प्रकीर्ण
उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिये उपलब्ध	33.	(1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती हैं।
		(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्क्रमों में उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
		(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
कर्मचारियों की सेवाशर्ते	34.	(1) प्रत्येक कार्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के आधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
		(2) कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों मे निहित

		प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।
		(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाये गये परिनियम की प्रक्रिया के अर्न्तगत किया जायेगा।
		(4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कार्मचारियों को लोकसेवक नहीं समझा जायेगा, और वह हमेशा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए या अन्यथा विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के आधीन रहेगा।
अपील का आधार	35.	विश्वविद्यालय, या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केंन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकैडिमक सैण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकैडिमक सैण्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाए अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्धक मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है पुष्टि उपान्तरित या परिवितित कर सकेगा।
भविष्य निधि एवं पेंशन	36.	विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और एसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किये जाएं, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा जैसा वह उचित समझे।
विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	37.	यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।
समितियों का गठन	38.	धारा 20 में उल्लेखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसी प्राधिकारी की समीति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियां होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें।
आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	39.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अविशष्ट अविध के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है सदस्य बना रहता है।
सदभावना पूर्वक की गयी कार्यवही के लिए संरक्षण	40.	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिकार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गयी है या की जाने के लिए आशयित है संस्थित नही होगी।
संक्रमणकालीन उपबन्ध	41.	इस अधिनियम व परिनियमों के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—
		(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम पति—कुलपति (यदि कोई हो तो), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
		(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
		(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
		(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।
स्थायी विन्यास निधि	42.	विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड दो करोड रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी

		अवधि पांच वर्ष की होगी,
		उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जायेगा।
		-
सामान्य निधि	43.	(1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :—
		(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;
		(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
		(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
		(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारानिषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान / दान।
		(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोंग विश्वविद्यालय के सभी आर्वतक व्ययों के लिये किया जायेगा।
विकास निधि	44.	(1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी; अर्थात् :—
		(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जायें;
		(ख) विश्वविद्यालय कि विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
		(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;
		(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
		(ड) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
		(2) समय—समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
निधि का अनुरक्षण	45.	धारा ४२, ४३, और ४४ के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थाक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।
वार्षिक प्रतिवेदन	46.	(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के आधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
		(2) व्यवस्थपक मणडल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
		(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
लेखा व लेखा परीक्षा	47.	(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
		(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी जो इन्स्टीट्यूट आफॅ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस आफॅ इन्डिया (आई.सी.ए.आई.) के

		\· \·
		सदस्यों हों।
		(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
		(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन—पत्र और लेख—परीक्षक सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हे उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	48.	विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक, रूप से विधिवत रखी गयी किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे एसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।
विश्वविद्यालय का विघटन	49.	(1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।
		(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफन होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन, जैसे विहित की जाये अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन के निर्णय लेने का अधिकर राज्य सरकार में निहित होगा।
		(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन एसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, परन्तु यह कि उसके लिये प्रायोजित संस्था को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवही आरम्भ नहीं की जायेगी।
		(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविदिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।
		(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायाजित संस्था (प्रोमोटिंग सोसायटी) में निहित हो जायेगी।
विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	50.	(1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।
		(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए प्रयीप्त नहीं है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्मपत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाइयों निराकरण	का !	51.	(1) यदि इस अधिनिय के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;
			परन्तु यह कि उपधारा (1) के आधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नही दिया जायेगा
			(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY ACT, 2016 [UTTARAKHAND ACT NO. 39 OF 2016]

INDEX

Section	Details		
	Chapter-1		
	Preliminary		
1	Short title and Commencement		
2	Definitions		
	CHAPER-II		
	The University and its Objects		
3	Establishment of University		
4	State not under any statutory Obligation to grant Financial Assistance to the University		
5	No Power to Affiliate any Institution		
6	Objects of the University		
7	Powers of the University		
8	University open To all classes, Castes, Creed, and Gender		
9	National Accreditation		
	CHAPTER –III		
	Officers of the University		
10	University`s Officers		
11	Visitor		
12	The Chancellor		
13	ThePro-Chancellor		
14	The Vice-Chancellor		
15	The Pro-ViceChancellor		
16	The Registrar		
17	Dean of Faculties		
18	The Finance Officer		
19	Other Officer		
	CHAPTER-IV		
	Authorities of the University		
20	Authorities of the University		
21	The Board of Governors and its powers		
22	The Board of Management		
23	The Academic Council		

24	The Finance Committee
25	Other Authorities
26	Proceedings not Invalidated on account of vacancy
	CHAPTER-V
	Statutes and Rules
27	Statutes
28	Statutes how made
29	Power to amend the Statutes
30	Rules
31	Rules how made
32	Power to Amend the statutes
	CHAPTER-VI
	Miscellaneous
33	Provisions for Permanent Resident of Uttarakhand
34	Condition of Service of employees
35	Right to appeal
36	Provident Fund and pensions
37	Disputes as to Constitution of University Authorities And bodies
38	Constitution of Committee
39	Filling of casual Vacancies
40	Protection of Action takes in good faith
41	Transitional Provisions
42	Permanent Endowment Fund
43	General Fund
44	Development Fund
45	Maintenance of fund
46	Annual Report
47	Account and Audit
48	Mode of Proof of University records
49	Dissolution of University
50	Expenditure of University during Dissolution
51	Removal of Difficulties

BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY ACT, 2016 [UTTARAKHAND ACT NO. 39 OF 2016]

AN

ACT

to establish and incorporate a Private University in the name of "BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY" at Kotdwar, Pauri Garhwal Uttarakhand promoted by Bhagwant Education Foundation, New Delhi registered under the Society Registration Act at New Delhi to provide and facilitate knowledge, instruction, training and research in the area of technical, medical, nursing, architecture, arts, science, commerce, education, law, social work, business management, computer science & application, agriculture, horticulture, forestry, dairy, veterinary, animal husbandry, theology, music, fine arts, vocational and other areas of education.

It is hereby enacted by Uttarkhand State Legislature in the Sixty Seventh Year of the Republic of India as follows:

Chapter-1 Preliminary

Short title and Commencement	1.	 (1) This Act may be called as the "BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY" Act, 2016. (2) It shall be deemed to have come into force on the date, the notification is issued by State Government of Uttarakhand in the Official Gazette.
Definitions	2.	In this Act, unless the context otherwise required:- a) "Academic Council" means the Academic Council of the University; b) "Authorities" means authorities of the University; c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the University
		 d) "Board of Management" means the Board of Management of the University; e) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University; f) "Board of Examinations" means Board of Examinations of the University; g) "Chancellor", Pro-Chancellor, "Vice Chancellor", "Pro-Vice

Chancellor", "Registrar", "Controller of Examinations", "Deans of faculty" and "Finance Officer", respectively means the "Chancellor", Pro-Chancellor, "Vice Chancellor", "Pro-Vice Chancellor", "Registrar", "Controller of Examinations", "Deans of Faculty" and "Finance Officer" of the University;

- h) 'Campus' means the campus of the University;
- i) "Constituent College" means a college institution maintained by the University;
- j) "Career Academy Centre" means such centre which is established, conducted and recognized by the University for the purposes of acceptance of e-mails, internet, interactive talk, training, lectures, conduct of seminar and workshops, guidelines, consultation, admission, online/offline examination center, and or any type of necessary help for students:
- k) "Director" of campus of Principal/Dean regarding Constituent College means the Head of that campus or Constituent College and where there is no Director/Principal/Dean appointed, any other person for the time being appointed is also included;
- 1) "Distance Education System" means the system of imparting education within the State Through any means of information technology and communication such as multimedia, broadcasting, telecasting, online over internet, other interactive methods, e-mails, internet, computer, interactive talk, e-learning correspondence courses, seminars, contact programmes or a combination of any two or more of such means;
- m) "Deposits" means collection made by the University from the students under the name Deposits, which is refundable;
- n) "Dean of Faculty" means the Dean of Faculty of the University;
- o) "Department" means a department (Academic Unit) of a college, teaching and undertaking research in a subject or a group of subjects;
- p) "Employee" means employee appointed by the University, and includes teachers and other staff of the University or of Constituent College;
- q) "Finance Committee" means Finance Committee of the University;
- r) "Faculty" means teaching faculty of the University;
- s) "Fee" means collection made by the University from the student under

the name Fee, which is not refundable;

- t) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
- u) "Hostel" means a unit for residence for students maintained or recognized by the University or Constituent College;
- v) "Promoting Society" means Bhagwant Education Foundation (Society) Delhi registered under The Societies Act 1860 having registered office at A-926, DLF Towers, Jasola, New Delhi 110025;
- w) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
- x) "Permanent Resident" means any resident of the state who has the valid domicile/permanent resident certificate issued by the prescribed authority as per the rules framed by the State Government from time to time;
- y) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating and supervising the work of Study Center and Career Academy Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- z) "State" means State of Uttarakhand;
- aa) "Statutes", "Rules" and "Ordinances" means respectively the "Statutes", "Rules" and "Ordinances" of the University made under this Act;
- bb) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students;
- cc) "Teacher" means a Professor/Dean, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction of conducting research in the University or in Constituent Colleges and institution and includes the Principal/Dean of the Constituent College;
- dd) "UGC" means the University Grant Commission established under the University Grant Commission Act, 1956;
- ee) "University" means "BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY" under this Act:
- ff) "Bodies" means the bodies of the University constituted by the relevant authorities;

			gg) "Visitor Chancellor" means the Governor of the State;
			CHAPER-II
			The University and its Objects
Establishment University	of	3.	(1)The Promoting Society shall have the right to establish the BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY in accordance with the provisions of this Act;
			(2)The main campus of the University shall be at Village Jhandi Chaur, Tehsil-Kotdwar, District Pauri Garhwal, Uttarakhand. It can also have Campuses or regional centres, career academy, counseling, admission centres at other places provided that the procedures established are complied with and subject to the approval of Board of Management. The University can open its second campus within the State after the coming into existence with prior approval of the State Government.
			(3)Where the State Government after such inquiry in satisfied that Promoting Society, has fulfilled the conditions, norms and requirements for establishment of BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY, hence a Private University to be known as BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY is hereby established.
			(4)The University shall be a body corporate by the name "BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY" and shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.
			(a) However, to establish new faculties where additional land would be required as per norms of the concerned regulatory body, the University shall establish a split campus either adjoining or nearby within Distt. Pauri Garhwal or at any other location in the State.
			(5)The Chancellor, the Vice-Chancellor, Registrar, members of the Board of Governors, members of Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.
			(6)On the establishment of the University under sub-section (1), the land and other moveable and immoveable properties acquired, created, arranged or built by promoting Society, for the purpose of the University shall stand transferred to, and vest in the University.
			(7)The available land, building, various department/faculties of the University shall be according to the standard of Apex Regulatory Commission.
			(8)The Infrastructural and other facilities of the University campus, off campus center, study center etc. shall be maintained as per the standards laid down

		T
		by the UGC and other apex regulatory bodies
State not under any statutory Obligation to grant Financial Assistance to the University	4.	The University shall be self financing and shall neither make a demand neither shall be entitled to any grant-in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.
No Power to Affiliate any Institution	5.	The University will have no power to affiliate Study Centres and Career Academic Centres. The University will have agreements with other Research Centers and Universities to carry out study and research work.
Objects of the University	6.	a) to provide instructions, teaching, training and research in various disciplines leading to certificate, diploma, degree, M.Phil, Ph.D, and Post Doctoral Research in Arts, Science and Commerce, Law & Governance, Languages, Engineering and Technology, Computer Science and Applications, Planning & Architecture, Medical (Medicine & Surgery, Ayurveda, Yunani, Homeopathy, Dental, Hygiene & Tropical Medicine, Nursing), Business & Management, Education, Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Vocational Training, Pharmacy, Veterinary, Animal Husbandry, Dairy, Physiotherapy, Paramedical, Media, Journalism, Film & TV Technology, Mass Communication, Fire & Safety, Sanitary Sciences & Social Work, International Studies, Foreign Trade, Aviation, online e-Programs, and Distance Learning, Music, Religion, Theology, Programme/discipline duly approved by the Academic Council and Board of Management of the university, for intellectual development of human resources, and any other areas of education as listed in Section 22 of UGC Act of 1956 as amended from time to time; b) to establish campuses, study centres or Constituent Colleges in the areas of education as in 7(a) for offering certificate, diploma, graduate degree, post graduate degree, M.Phil, and Doctoral degree which would be as nominated by the University Grant Commission, but the University shall, have the right to start other diploma and certificate courses in furtherance of its Objectives; c) to establish a Constituent Centre for Continuing Education to provide teaching, learning and examination through distance learning methodology for the courses mentioned in programs as given in clause (a) above as and where applicable with the prior approval of University Grant Committion;
		d) to establish examination centres for online and offline mode within

	ı	
		state geographical jurisdiction;
		e) to institute and confer regular and honorary (<i>honoris causa</i>) degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions on the basis of examination, or any other such method including contributions to a specific field or to society in general;
		f) to establish research and development centre to promote research and innovations through seminars, conferences, workshops, symposium, community radio, educational programmes, community development program, publications, training programmes and study groups etc.;
		g) to undertake extra-mural studies, extension programmes and field outreach activities to contribute to the development of the society;
		h) to set up Off-shore campuses as per the provision laid down by UGC;
		i) to pursue any other objective as may be approved by the Board of Governors within the rules of the State Government and UGC.
		j) to establish a campus in another State with the consent of U.G.C. and concerning State Government;
Powers of the	7.	(1) The University shall have the following powers; namely:-
University		 (a) To provide instructions, teaching, training and research in various disciplines leading to certificate, diploma, degree, M.Phil, Ph.D., and Post Doctoral Research in Arts, Science and Commerce, Law & Governance, Languages, Engineering and Technology, Computer Science and Applications, Planning & Architecture, Medical (Medicine & Surgery, Ayurveda, Yunani, Homeopathy, Dental, Hygiene & Tropical Medicine, Nursing), Business & Management, Education, Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Vocational Training, Pharmacy, Veterinary, Animal Husbandry, Dairy, Physiotherapy, Paramedical, Media, Journalism, Film & TV Technology, Mass Communication, Fire & Safety, Sanitary Sciences & Social Work, International Studies, Foreign Trade, Aviation, online e-Programs, and Distance Learning, Music, Religion, Theology, Programme/discipline duly approved by the Academic Council and Board of Management of the university, for intellectual development of human resources, and any other areas of education as listed in Section 22 of UGC Act of 1956 as amended from time to time; and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
		(b) to carry out all such other activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;

- (c) to hold examinations for, and to institute grant and confer degrees or other academic distinction to, and on, persons, who;
 - (i) have pursued a course of study in the University or through its distance education system at Regional Centre /Study Centre/Career Academy Centre; or
 - (ii) have carried on research in the University or in an approved constituent body or under its distance education center program;
- (d) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/Provisions;
- (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;
- (f) to demand and receive such fees, deposits, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules as the case may be;
- (g) to establish, maintain and recognize such Regional Centres and Study Centres as may be determined by the University from time to time in the manner laid down by the Statutes after the completion of five years of the University. In this regard the guidelines of the State Government and UGC as applicable from time to time shall be followed;
- (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;
- (i) to make appointments of faculty, officers and employees of the University or a Campus College, Constituent College, Regional Centres, Study Centres, Research Centres, and Career Academy Centre;
- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, for the purpose of the University or a Constituent College, or a Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre with prior permission of the promoting Society;
- (k) to institute and maintain halls/hostels and to recognize places of residence for students of the University or a Constituent College;
- (I) to supervise and control the residence of students and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees including their code of conduct;
- (m) to create Academic, Administrative and Supporting staff and other necessary posts;
- (n) to co-operate and collaborate with other Universities, Institutions,

Organizations, Individuals, Industries and Societies in India and abroad in such a manner and for such purpose as the University may determine from time to time;

- (o) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;
- (**p**) to organize and conduct refresher course, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admission to the University or Regional Centres, Study Centres, with the approval of Academic Council;
- (r) to make special provision for permanent residents of Uttarakhand for admission in any course of the University or Regional Centre, Study Centre, Research Centre and Career Academic Centre as per merit;
- (s) to prescribe such courses for Under Graduate Degree, Post Graduate Degree, Doctor of Philosophy, Doctor of Science Degree and Research and to conduct Diploma, Degree and Certificate Programs in all areas covered under education:
- (t) to clearly set apart the academic activities of the University from the activities of the promoting Society;
- (u) to provide for the preparation of instructional materials, including audio, video films, cassettes, tapes, video cassettes, CD, DVD and other softwares;
- (v) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) of other Universities, Institutions or other places of Higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognize at any time;
- (w) to raise, collect, subscribe and borrow funds with the approval of the Board of Governors whether on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (x) to enter into, carry out, amend or cancel contracts;
- (y) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the object of the University;
- (z) to sue or be sued in its own name as a Legal Entity in any Court of Law, Tribunal or Authority through its authorized officer.
- (2) Not withstanding anything constrained in any other law for the time being

		in force but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the university and distance education system and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to colleges, Regional Centres, Study Centres and Career Academy Centres, whether admitted to its privileges or not or to any other University or Institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.
University open To all classes, Castes, Creed, and Gender	8.	The University shall be open to all persons irrespective of class, caste, creed, gender or nationality:
Creed, and Gender		Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission topermanent resident of Uttarakhand.
		Provide further that nothing in this section shall be deemed to require the University or constituent colleges or Regional Centres or Study Centres or Career Academy Centres to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the statutes.
National Accreditation	9.	The University shall seek accreditation from respective national Accreditation bodies, if required.
		CHAPTER –III
***	10	Officers of the University
University`s Officers	10.	The following shall be the officers of the University; namely:-
		a) the Visitor;
		b) the Chancellor;
		c) the Pro-Chancellor
		d) the Vice-Chancellor;
		e) the Pro-Vice Chancellor;
		f) the Registrar;
		g) the Deans of Faculties;
		h) the Finance Officer; and
		i) Such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of
		the University.

		(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.
		(3) The Visitor shall have the following powers namely:-
		(a) To call for information relating to the affairs of the University;
		(b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Decision, Act, Regulations, Statutes, or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied by all concerned.
		(c) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the approval of the Visitor.
The Chancellor	12.	(1) The Chancellor may be appointed from amongst / or by the members of the Promoting Society.
		(2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or Statutes made there under.
	I	(3)The Chancellor shall have the following powers namely:-
	ļ	(a) To call for any information or record.
		(b) Such other powers as may be prescribed by the statues.
The Pro-Chancellor	13.	(1) The Pro-Chancellor may be appointed from amongst / or by the members of the Promoting Society.
	_	(2) The Pro-Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or Statutes made there under.
The Vice- Chancellor	14.	(1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub- section (2).
		(2) The Committee referred to in sub section (1) shall consist of the following persons; namely:-
		(a) One person nominated by the Visitor
		(b) One person nominated by the Chancellor;
	ļ	(c)Three nominees of the Board of Governors,
	ļ	(d)One member nominated by the promotimng body as the convener of the

	I	
		committee.
		(3) The committee shall on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
		(4)The Vice-Chancellor shall be the Principal executive, administrative and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
		(5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
		(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the rules.
		(7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry with. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
The Pro-Vice Chancellor	15.	A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
The Registrar	16.	(1)The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
		(2)All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
		(3)The Registrar shall have the powers to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or Vice-Chancellor.
		(4)The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the university and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other competent authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their

	1	,
		business.
Dean of Faculties	17.	Deans of faculties shall be appointed by the vice-Chancellor with approval of
		Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such
		duties as may be prescribed by Statutes.
The Finance	18.	The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and
Officer		shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by
		the Statutes.
Other Officer	19.	The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and
		duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed
		by the Statutes.
		CHAPTER-IV
Authorities of the	20.	Authorities of the University The following shall be the authorities of the University; namely:-
University		
		a) The Board of Governors;
		b) The Board of Management;
		c) The Academic Council;
		d) The Finance Committee; and
		e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be
		authorities of the University.
The Board of Governors and its	21.	(1) The Board of Governors shall consist of:-
powers and its		a) The Chancellor shall be the Chairman of the Board of Governors;
		b) two regional member of legislative assembly;
		c) Co-Chairman (if any) of the Board of Governors shall be nominated from amongst the members of the Promoting Society;
		d) The Vice-Chancellor - Member Secretary;
		e) Three Academician nominated by the Visitor Chancellor;
		f) Two members from Industry/ Corporate/ Professionals nominated by the Promoting Society;
		g) One member nominated by the Chairman, Promoting Society from reputed higher education institutions;
		(2) The Board of Governors shall be the Principal Governing Body of the University and shall have the following powers, namely:-
		a) to lay down policies to be pursued by the University;

		b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
		c) to approve the budget and annual report of the University;
		d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
		e) to take decision about voluntary winding up of the University;
		f) to approve proposals for submission to the State Government; and
		g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University;
		h) to appoint the Statutory Auditors of the University;
		i) to appoint and authorized any person/persons to open, close, operate and manage accounts of the University;
		(3)The Board of Governors shall, meet at least twice in a year at such time and place as the Chairman, Board of the Governors thinks fit.
		(4) Five members will form the quorum for conducting business.
The Board of	22.	(1) The Board of Management shall consist; namely
Management		(a) The Pro Chancellor - Special invitees;
		(b) The Vice-Chancellor -Chairman;
		(c) The Pro Vice-Chancellor - if any;
		(b) One member nominated by the Chancellor;
		(e) Five Member, nominated by the promoting society;
		(f) Tow professor of the University, by rotation as nominated by the Chancellor;
		(g) Two Deans of the faculties by rotation as nominated by the Chancellor

(h) Principal Secretary/Secretary to the State Government of the Higher

(2) The Board of Management shall be the Pricniapl Managing body of the

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as

(i) The Registrar shall be non-member Secretary;

may be prescribed by the Statute

Education Department;

University

Th A	T 22	(4) 771 A 1 ' C '1 1 11 ' (C
The Academic Council	23.	(1) The Academic Council shall consist of:-
		(a) the Vice-Chancellor - Chairman;
		(b) the Registrar -Secretary;
		(c) such other members as may be prescribed in the Statutes.
		(2) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Rules and the Statutes, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University;
		(3) The powers and functions of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.
The Finance Committee	24.	(1) The Finance Committee shall consist of :
Committee		(a) The Chancellor - Chairman
		(b) The Finance Officer - Secretary
		(c) Such other members as may be prescribed in the Statutes.
		(d) One External Finance Expert nominated by Chancellor
		(2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Rules, Statutes, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.
		(3) The powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed by the Statutes.
Other Authorities	25.	The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.
Proceedings not Invalidated on account of vacancy	26.	No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.
		CHAPTER-V
	<u> </u>	Statutes and Rules
Statutes	27.	Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as follows:-
		a) transaction of business of the Authorities of the University and procedure of constitution of such units, which is not specified in this Act,
		b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the

		development fund;
		c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
		d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
		e) resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
		f) creating, abolition or restructuring of departments and faculties;
		g) the manner of co-operation with other University or institutions of higher learning;
		h) conferment of honorary degrees;
		i) grant of freeships and scholarships;
		 j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for permanent resident of Uttarakhand;
		k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
		l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
		m) creation and abolition of posts;
		n) disciplinary action against students/employee of the University;
		o) other matters which may be prescribed and deemed necessary for framing of the Statutes;
		p) Appointment of the Chancellor his power and functions.
Statutes how made	28.	The first Statutes made by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval.
Power to amend the Statutes	29.	The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government makes new or additional Statutes or amends or repeals the existing Statutes.
Rules	30.	Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
		a) Admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
		b) The courses of study to be laid down for all degrees and other academic

		distinctions of the University;
		c) The award of degrees and other academic distinctions;
		 d) The conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
		 e) The conduct of examination and the condition and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
		f) The fee to be charged for admission to the examination, degrees and other academic distinctions of the University;
		 g) The conditions of residence of the students at the University or a Constituent College;
		 Maintenance of discipline among the students of the University or a Constituent College;
		 The Fee and Deposits chargeable from student for various courses of studies;
		j) All over matters as may be provided in the Statutes and rules under Act.
Rules how made	31.	The Rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall
		be submitted to the State Government for its approval.
Power to Amend the statutes	32.	The Board of Governs may, with the approval on the State Government, make new or additional rules or amend or repeal the Rules.
		CHAPTER-VI
		Miscellaneous
Provisions for Permanent Resident of Uttarakhand	33.	(1) For admission in various courses conducted by the University 25 percent seats shall be reserved for the permanent residents of State of Uttarakhand, and if the reserved seat are vacant, then the said vacant seats may be filled by the other candidates.
		(2) for tuition fees fixed for various courses conducted by the University, 25% rebate shall be given to the permanent resident of the State of Uttarakhand who shall seek admission as per sub-section (1) above.
		(3) For posts of Group 'C' and 'D' permanent resident of the state of Uttarakhand fulfilling eligibility criterion shall be given preference.
Condition of Service of employees	34.	(1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

		(2) Disciplinary action against any employee shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
		(3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall be resolved by the procedure prescribed by the relevant Statutes.
		(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the employees of the University shall not be deemed to be public servant and would always remain as under the private employment of the University for the purpose of this Act or otherwise.
Right to appeal	35.	Every employee or student of the University or of a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre's shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre's, as the case may be and there upon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against.
Provident Fund and pensions	36.	The University shall constitute for the benefits of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
Disputes as to Constitution of University Authorities And bodies	37.	If any question arises as to whether any person has been duly or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.
Constitution of Committee	38.	Any authority of the University mentioned under section 20 will be empowered to constitute a committee of such authority, consisting of such member and having such powers as the authority may deem fit.
Filling of casual Vacancies	39.	Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy in to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.
Protection of Action takes in good faith	40.	No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules.

Transitional	41.	Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the
Provisions		Statutes.
		(a)The first Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three year;
		(b)The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three year;
		(c)The first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three year;
		(d) The first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three year.
Permanent Endowment Fund	42.	The University shall establish a permanent endowment fund of Rs.Two Crore in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank Pledged in the name of State Government of Uttarakhand whose tenure shall be five years and after that shall be renewed for five years again.
General Fund	43.	(1) The University shall establish a general fund to which the Following amount shall be credited, namely:-
		a) all fees which may be charged by the University;
		b) all sums received from any other source;
		c) all contributions made by the promoting Society;
		d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force;
		(2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.
Development Fund	44.	(1) The University shall also establish a development fund to which the following fund shall be credited; namely:-
		a) development fees which may be charged from students;
		b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
		c) all contributions made by the Promoting Society;
		d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force;

		e) all income received from the permanent endowment fund.
		(2) The Funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.
Maintenance of fund	45.	The fund established under section 42, 43 and 44 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.
Annual Report	46.	(1)The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Boardof Governors for its approval.
		(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.
		(3) A copy of annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to the Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.
Account and Audit	47.	(1) The annual account and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.
		(2) The annual account of the University shall be audited by auditors, who are a member of the Institute of Chartered Accountants of India (I.C.A.I.), every year.
		(3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the Financial Year in 31 March each year.
		(4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observations thereon before the 31 st December each year.
Mode of Proof of University records	48.	A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original

		thereof would, if produced, have been admissible in evidence.
Dissolution of University	49.	(1) If Promoting Society proposes dissolution of the "BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY" in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it's shall give at least three months notice in writing to the State Government.
		(2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardship in the management systems of University, the State Government would issue direction to the management system of University, if the direction are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.
		(3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the state Government in this behalf: Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the Promoting Society.
		(4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with University Grant Commission, make such arrangements for administration of the University from the proposed date of dissolution of the "BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY" and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the Statutes.
		(5) On the dissolution of the University, all the assets and liabilities of the University shall vest in the Promoting Society i.e. Bhagwant Education Foundation, New Delhi.
Expenditure of University during Dissolution	50.	(1) The expenditure for administration of the University during the dissolution of the University under section 49 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development funds.
		(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the dissolution of the University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University.
Removal of Difficulties	51.	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no notification orders under sub-section (1) shall
be made after the expiration of a period of three years from the
commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.
